



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042020-219237
CG-DL-E-30042020-219237

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1194]
No. 1194]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2020/वैशाख 4, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2020/VAISAKHA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2020

का. आ. 1338(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1954 (1954 का 86) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353 के 83.000 कि.मी. से 94.390 कि.मी. (मोर्शी वरुड पाटूर्णा) तक के भूखण्ड (3 क) सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा, चार/दो लेन का बनाने, आदि), अनुक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजना के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजना के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेंगे।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तथा उपविभागीय अधिकारी SDO/CALA को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधी व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और

जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उपधारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग मोर्शी वरुड पांढूर्णा संख्या ३५३ के कि.मी. ४३.०० से ९५/३९.० कि.मी तक (३(क) खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: अमरावती			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: वरुड					
गांव का नाम: पुसला					
1	271	निजी	एग्रीकल्चर	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
2	273	निजी()	एग्रीकल्चर	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
कुल				0.1400	0.1400

[फा.सं. RW/NH-12014/75/2016/MAH-P-6/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2020

S.O. 1338(E).—Inexercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two-laning, etc.), Maintenance, Management and Operation of **National Highway No. 353 k** in the stretch of land from **Km 43.000 to Km 95.390 (Morshi-Warud-Pandhurna Section)** in the District of **Amravati** in the **State of Maharashtra**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the **SDO/LAO** in the State of Maharashtra, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling within the stretch of land from **Km 43.000 to Km 95.390 (Morshi-Warud-Pandhurna Section)** of **National Highways No. 353 k** in Amravati District in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: AMRAVATI			
Sno	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Warud					
Village: Pusla					
1	271	Private	Agriculture	0.0700000(Hectare)	0.0700000
2	273	Private	Agriculture	0.0700000(Hectare)	0.0700000
Total				0.1400	0.1400

[F. No. RW/NH-12014/75/2016/MAH-P-6/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.